

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए स्पाइसेस बोर्ड के लेखे पर भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

हम ने स्पाइसेस बोर्ड अधिनियम, 1986 की धारा 24 के साथ पठित नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के अधीन स्पाइसेस बोर्ड, कोच्ची (बोर्ड) के संलग्न तुलन-पत्र, जैसे कि 31 मार्च 2017 को है, और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय - व्यय लेखे और प्राप्ति और अदायगी लेखे की लेखापरीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणों में बोर्ड की यूनिटों/शाखाओं के लेखे शामिल हैं। ये वित्तीय विवरण बोर्ड के मैनेजमेंट की ज़िम्मेदारी हैं। हमारी ज़िम्मेदारी अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय प्रकट करने की है।

- 2) इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में, केवल वर्गीकरण, उत्तम लेखा रीतियों, लेखा मानकों एवं प्रकटीकरण—मानकों आदि के अनुसार लेखा प्रणाली पर भारत के नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक (सी ए जी) की टिप्पणियां निहित हैं। विधि, नियम व विनियम (औचित्य एवं नियमितता) तथा दक्षता व निष्पादन पहलू आदि, यदि कोई हो, के अनुपालन संबंधी वित्तीय लेन-देन पर लेखापरीक्षा की टिप्पणियाँ निरीक्षण रिपोर्टों/नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्टों के ज़रिए अलग से रिपोर्ट की जाती हैं।
- 3) हमने भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की है। ये मानक यही अपेक्षा करते हैं कि इसके बारे में उचित आश्वासन प्रकट करने के लिए हम इस लेखापरीक्षा का नियोजन और निष्पादन करते हैं कि क्या ये वित्तीय विवरण गलत वस्तुगत विवरणों से रहित हैं। लेखापरीक्षा में, जांच आधार पर, वित्तीय विवरणों की राशियों एवं प्रकटन का समर्थन करनेवाले प्रमाणों की परख शामिल है। लेखापरीक्षा में मैनेजमेंट द्वारा प्रयुक्त लेखा सिद्धांतों एवं तैयार किए गए उल्लेखनीय आकलनों का निर्धारण तथा वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा अपनी राय के लिए एक उचित आधार मुहैया करती है।
- 4) अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि:
 - (i) हमें सभी सूचनाएँ एवं स्पष्टीकरण, जो अपनी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थीं, प्राप्त हुई हैं।
 - (ii) इस रिपोर्ट में दिये गए तुलन-पत्र, आय-व्यय तथा प्राप्ति और अदायगी लेखा वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित फॉर्मेट में तैयार किए गए हैं।

(iii) हमारी राय में स्पाइसेस बोर्ड नियम 1987 के नियम 18(1) के साथ पठित स्पाइसेस बोर्ड अधिनियम, 1986 की धारा 23 के अधीन अपेक्षित समुचित लेखा-बहियाँ एवं अन्य संगत रिकार्ड उचित रूप से बोर्ड द्वारा बनाए रखे गए हैं, जैसे कि ऐसी बहियों की हमारी परीक्षा से लगता है।

(iv) हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

(अ) तुलन-पत्र

1. देनदारियाँ

चालू देनदारियाँ एवं प्रावधान (अनुसूची-7) 148.25 करोड़ रुपए

1.1 भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखाकरण नीति के प्रावधानों के विरुद्ध, जैसेकि वर्ष 2016-17 के अंत को है, बोर्ड को सेवानिवृत्ति लाभ का बीमांकिक मूल्यांकन प्राप्त नहीं हुआ है। बोर्ड ने, जैसेकि 31 मार्च 2017 को है, केवल 140.15 करोड़ रुपए के प्रावधान के बदले, जैसेकि 31 मार्च, 2016 को है, बीमांकिक मूल्यांकन तैयार किया है, लेकिन उसके तहत अपेक्षित प्रावधान 226.23 करोड़ रुपयों का रहा।

1.2 उपर्युक्त में वर्ष के अंत के 0.88 करोड़ रुपए के बकाया खर्च केलिए देनदारी शामिल नहीं है। यह प्रावधान और खर्च की न्यूनोक्ति में परिणत हुआ है और इसके परिणामस्वरूप 'आय की अपेक्षा व्यय की अधिकता' की तदनुरूप न्यूनोक्ति हुई है।

2. परिसंपत्तियां

2.1 स्थिर परिसंपत्तियां (अनुसूची-8)

पूंजीगत कार्य, जो प्रगति पर है (अनुसूची सं.8 ख) : 137.50 करोड़ रुपए

इसमें बोडिनायकन्नूर के इ-नीलामी केन्द्र का मूल्य कुल 2.26 करोड़ रुपए शामिल है, जिसका उपयोग मई, 2016 में किया था। वर्ष के दौरान परिसंपत्ति के कुल मूल्य को पूंजीकृत किया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप 2.26 करोड़ रुपए में कुल परिसंपत्तियों की न्यूनोक्ति हुई, 2.26 करोड़ रुपए में सी डब्ल्यू आई पी की अत्युक्ति हुई, 0.19 करोड़ रुपए में मूल्यहास की न्यूनोक्ति हुई। परिणामस्वरूप, 0.19 करोड़ रुपयों में 'आय की अपेक्षा व्यय की अधिकता' की तदनुरूप न्यूनोक्ति हुई है।

2.2 चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम आदि (अनुसूची 11) : 98.97 करोड़ रु.

बोर्ड ने वर्ष 2016-17 के लेखे को अंतिम रूप देते वक्त, वर्ष 2015-16 के दौरान के 0.66 करोड़ रुपए का उपचित सूद प्रत्यावर्तित नहीं किया था और वर्ष 2016-17 के 1.61 करोड़ रुपए के उपचित सूद का हिसाब (लेखा) नहीं दिया था। यह 0.95 करोड़ रुपयों में चालू परिसंपत्तियों और सूद की न्यूनोक्ति में परिणत हुआ। परिणाम स्वरूप, आय की अपेक्षा व्यय की अधिकता ' उस हद तक अत्युक्ति है।

ख) वार्षिक लेखे में 6 गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाओं के रासायनिकों के अंतिम स्टॉक में शामिल न किए जाने की वजह से ,यह 0.31 करोड़ रुपए की न्यूनोक्ति रही। परिणामतः 'आय की अपेक्षा व्यय की अधिकता ' में भी उस हद तक अत्युक्ति आई है।

2.3 पूंजीगत कार्य जो प्रगति पर है (अनुसूची सं. 8 ख): 137.50 करोड़ रु.

किट्को द्वारा काम का निष्पादन न होने की वजह से 3.63 करोड़ रुपए की रकम जमा की वापसी की गई। पूंजीगत कार्य जो प्रगति पर है, में समायोजित करने के बजाय इसको आय के रूप में आकलित किया गया। ' आय की अपेक्षा व्यय की अधिकता ' भी उसी हद तक न्यूनोक्ति में दर्शाई गई।

2.4 चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण,अग्रिम आदि (अनुसूची 11): 98.97 करोड़ रु.

बैंक शेष : 87.45 करोड़ रु.

इसमें विविध प्रयोगशाला उपकरण,जो उस समय प्राप्त करने को थे, के आयात के लिए साख पत्र (एल सी) के बनाने के लिए प्रयुक्त 1.32 करोड़ रुपए की रकम शामिल नहीं है। एल सी रकम, प्रयोगशाला उपकरण के प्राप्त न होने पर भी गलती से पूंजीकृत की गई। यह स्थिर परिसंपत्तियों की 1.23 करोड़ रु. की अत्युक्ति में 0.09 करोड़ रुपयों में मूल्यहास की अत्युक्ति और 1.23 करोड़ रुपयों में बैंक बाकी की न्यूनोक्ति में परिणत हुआ। परिणाम स्वरूप, यह 0.09 करोड़ रुपयों में 'आय की अपेक्षा व्यय की अधिकता ' की अत्युक्ति हुई है।

आ) आय एवं व्यय लेखा

1. आय

अनुदान/इमदाद (अनुसूची 13): 73.95 करोड़ रु.

इसमें 0.35 करोड़ रुपए की इमदाद शामिल है, जो निष्क्रिय बैंक खाते के कारण लौटाई इमदाद है। इसको आय के रूप में आकलित करने के बजाय इलायची विकास निधि के साथ समायोजित किया जाना चाहिए था। यह, आय की अत्युक्ति, 'आय की अपेक्षा व्यय की अधिकता ' और 0.35 करोड़ रुपए में इलायची विकास निधि की न्यूनोक्ति में परिणत हुआ।

2. व्यय

प्रशासनिक व्यय – नॉन प्लान (अनुसूची - 22) - 2.14 करोड़ रु.

इसकी, राजस्व व्यय के रूप में सेवकों व कम्प्यूटरों पर 0.68 करोड़ रु. के पूंजीगत व्यय के रूप में भारित होने के कारण 0.27 करोड़ रु. (कंप्यूटर : 0.68 करोड़ रु.(कम) मूल्यहास 60% की दर पर) की सीमा में अत्युक्ति हुई है। तदनुसार, स्थिर परिसंपत्तियों (कंप्यूटर हार्डवेयर) की न्यूनोक्ति और 'आय की अपेक्षा व्यय की अधिकता' की 0.27 करोड़ रुपयों में अत्युक्ति हुई है।

इ. सहायता-अनुदान

पिछले वर्ष 2015-16 से अग्रेनीत अप्रयुक्त अनुदान शून्य था। वर्ष के दौरान भारत सरकार से 80.35 करोड़ रु. की रकम अनुदान के रूप में प्राप्त हुई थी और उसको पूर्णतः प्रयुक्त किया गया।

(v) पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में की गई हमारी टिप्पणियों के अधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट में बताए गए तुलन-पत्र, आय व व्यय लेखा तथा प्राप्तियाँ और अदायगी लेखा लेखा-बहियों के अनुसार हैं।

(vi) हमारी राय और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, लेखाकरण नीतियों एवं लेखे पर टिप्पणियों के साथ पठित उक्त वित्तीय विवरण और ऊपर बताई उल्लेखनीय बातों और इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट के संलग्नक-1 में उल्लिखित अन्य बातों के अधीन, भारत में सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के साथ अनुरूपता रखते हुए एक सही और निष्कपट चित्रण देते हैं:-

क) जैसे कि 31 मार्च 2017 को है, यह जहां तक स्पाइसेस बोर्ड के कार्यकलापों के तुलन-पत्र से संबंधित है; तथा

ख) यह यहाँ तक उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए घाटे के आय एवं व्यय लेखे से संबंधित है।

भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक के लिए और की ओर से

(ह.)

स्थान : चेन्नै

(जी.सुधर्मिणी)

तिथि: 16.11.2017

प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा

(1) आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

वर्ष 2015-16 के दौरान बोर्ड के 13 विपणन कार्यालय, 8 मसाला पार्क, 14 प्रादेशिक कार्यालय, 14 मण्डल कार्यालय, 56 क्षेत्र कार्यालय, 5 विभागीय पौधशालाएँ और 4 अनुसंधान स्टेशन (आई सी आर आई, मैलाडुम्पारा सहित) प्रवृत्त थे। लेकिन यह पाया गया है कि वर्ष 2016-17 की अवधि के दौरान, केवल 2 प्रादेशिक कार्यालयों, 5 मण्डल कार्यालयों, 11 क्षेत्र कार्यालयों, 1 मसाला पार्क और 1 अनुसंधान स्टेशन की आंतरिक लेखापरीक्षा ही चलाई गई थी। अतः वर्ष 2016-17 के दौरान स्पाइसेस बोर्ड के सभी यूनिटों की आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं चलाई गई थी।

(2) आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली अपर्याप्त है और बोर्ड के आकार और प्रकृति से मेल खाती नहीं है। आंतरिक नियंत्रण की असफलता इस बात से स्पष्ट है कि बैंक खाते (एक्सिस बैंक) की 1.87 करोड़ रुपए की मिलान न की गई शेष राशि दूसरे आय खाते में एकसाथ अंतरित की गई है।

(3) स्थिर परिसंपत्तियों के वस्तुगत सत्यापन की प्रणाली

वर्ष 2016-17 के दौरान परिसंपत्तियों का वस्तुगत सत्यापन कार्य नहीं चलाया गया।

(4) माल सूची के वस्तुगत सत्यापन की प्रणाली

वर्ष 2016-17 के दौरान मालसूची का वस्तुगत सत्यापन नहीं चलाया गया।

(5) सांविधिक देयों के भुगतान में नियमितता

बोर्ड सांविधिक देयों का नियमित रूप से भुगतान करता है।

(ह.)

उप निदेशक